

10

उत्तर पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती कक्ष,  
पावर हाउस रोड,  
जयपुर

दिनांक 10.07.2020

सं 740 ई/आरआरसी/लेवल-1/02/2018/चिकित्सा प्रमाण पत्र  
महत्वपूर्ण सूचना

सर्व सम्बन्धित,

विषय:- चिकित्सा जांच के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के क्रम में।


सन्दर्भ:- रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2014/H/5/8(policy) dated 07.07.2017

केन्द्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 के तहत लेवल-1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थियों को चिकित्सा कोटि ए-2 एण्ड बिलो के लिए चिकित्सा जांच हेतु रेलवे चिकित्सालय भेजा गया था जिसमें संलग्न सूची एनेक्चर-1 में दर्शाए गए अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के लिए अधिसूचित पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा कोटि में फिट नहीं किया पाया गया है अर्थात् चिकित्सा कोटि बी-2, सी-1, सी-2 में फिट किया गया है या सभी चिकित्सा कोटियों के लिए अनफिट किया गया है।

जो अभ्यर्थी उक्त चिकित्सा जांच के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वह इसके विरुद्ध अपनी अपील निम्नलिखित निर्देशों की पालना करते हुए प्रस्तुत कर सकता है।

अपील प्रस्तुत करने के निर्देश:-

1. अपील प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक, उपरे, जयपुर को अध्यक्ष, रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर के माध्यम से प्रस्तुत की जानी है। अपील का प्रारूप एनेक्चर-2 में दिया गया है।
2. अपील के साथ एनेक्चर-3 के प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। चिकित्सा प्रमाण पत्र (एनेक्चर-3 द्वारा निर्धारित प्रारूप में) संलग्न नहीं होने पर अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
3. अपील के साथ राशि रु. 1000/- का **FA&CAO, NWR, Jaipur Payable at Jaipur** के नाम जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त राशि रु. 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट अपील के साथ संलग्न नहीं होने पर अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि आपकी अपील के बाद आपको उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अधिसूचित पद की चिकित्सा कोटियों (A-two से B-one में से किसी एक) के लिए फिट किया जाता है तो आपके राशि रु. 1000/- वापस लौटा दी जाएगी अन्यथा आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अपील व्यक्तिगत या डाक द्वारा "अध्यक्ष, रेलवे भर्ती कक्ष, डीआरएम ऑफिस के सामने पावर हाउस रोड जयपुर 302006" को भेजी जानी है। अपील के लिफाफे के उपर "केन्द्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 के तहत चिकित्सा जांच परीक्षा के विरुद्ध अपील" अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए तब ही लिफाफा लिया जाएगा अन्यथा वापस लौटा दिया जाएगा।
5. आपको अपनी अपील इस सन्दर्भ में आपको भेजे गये **SMS/e-mail** की तारीख से एक महीने के अन्दर-अन्दर ही प्रस्तुत करनी है। तत्पश्चात् प्रस्तुत की गई अपील पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
6. किसी भी कारण से निरस्त की गई अपील की राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी।

  
अध्यक्ष, रेलवे भर्ती कक्ष,  
उपरे, जयपुर

Upload Web Site RRC  
date 10/7/2020

चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील CEN 02/2018

श्री मान मुख्य चिकित्सा निदेशक  
उत्तर पश्चिम रेलवे-जयपुर

(द्वारा-अध्यक्ष रेलवे भर्ती कक्ष, उ.प.रेलवे-जयपुर)

**विषय:- CEN 02/2018 के तहत चिकित्सा जाँच के विरुद्ध अपील।**

मैंने ----- केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 के तहत अधिसूचित लेवल-1 के पदों पर भर्ती हेतु आनलाईन आवेदन किया था। मुझे कम्प्यूटर बेस परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने तथा दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त निर्धारित चिकित्सा जाँच के लिए रेलवे चिकित्सालय-----में दिनांक----- को भेजा गया था। मेरी रेलवे द्वारा नामित चिकित्सा कमेटी द्वारा चिकित्सा जाँच की गई जिसमें मुझे निम्न में से एक चिकित्सा श्रेणी में उपयुक्त घोषित किया गया था।

1. B-Two & Below
2. C-One & Below
3. C-Two
4. Unfit in all medical category

मैंने उपयुक्त चिकित्सा जाँच से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण अपनी जाँच सरकारी/निजी चिकित्सालय-----में दिनांक-----को करवाई थी जिसमें मुझे रेलवे द्वारा निर्धारित अधिसूचना में वर्णित मेडीकल स्टैंडर्ड के अनुसार चिकित्सा कोटी-----में योग्य घोषित किया गया है। जिसके प्रमाण में सरकारी/निजी चिकित्सक द्वारा जारी (Annexure-3 में निर्धारित) चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति संलग्न है। इस सम्बन्ध में यह भी लेख है कि मैंने सरकारी/निजी चिकित्सालय में अपनी चिकित्सा जाँच कराने से पूर्व ही चिकित्सकों को रेलवे द्वारा निर्धारित Medical Standard जो कि अधिसूचना CEN 02/2018 के पैरा 3.0 में उल्लेखित Medical Standard से एवं मेरी रेलवे चिकित्सा जाँच रिपोर्ट से अवगत करा दिया था।

अतः आपसे अपील है कि कृपया संलग्न सरकारी/निजी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के मददेनजर पुनर्विचार करते हुये मेरी पुनः चिकित्सा जाँच करवायें।

इस सम्बन्ध में आपके दिशानिर्देशानुसार निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं:-

1. Demand Draft of Rs. 1000/- DD no. ....Date .....Bank Name.....payable P F&CAO HQ, NWR, Jaipur
2. Copy of E-Call Letter of Documents Verification
3. Medical certificate issued by the Govt./Private

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

नाम:-

पिता का नाम

रजिस्ट्रेशन नं.


रोल नं.(सीबीटी):-

upload Web Side RRC

Date 10/7/2020

**Medical Certificate issued by a government/Private Medical Doctor**

- 1- Name: \_\_\_\_\_
- 2- Father Name \_\_\_\_\_
- 3- DOB \_\_\_\_\_
- 4- Gender:- \_\_\_\_\_
- 5- Candidature for the post of Level-I
- 6- Required Medical standard A2 to B1(as per Para 3.0 of CEN 02/2018)
- 7- Identification marks attested by Certifying Medical officer:-
  - i) \_\_\_\_\_
  - ii) \_\_\_\_\_



Examination findings/Report:- \_\_\_\_\_

**8. Declaration by the certifying Medical officer (Issuing authority of this certificate)**

"I am fully aware of physical and visual standards set by the railways for the particular medical category and am aware of the fact that the candidate has already been declared unfit according to these standards during medical examination conducted by the appropriate medical board comprising or three senior Railway Doctors appointed by the Government in this regard"

Signature of the candidates :- \_\_\_\_\_ (must be in presence of issuing authority)

Name of the Doctor: \_\_\_\_\_

MCI.State Registration No:- \_\_\_\_\_

Signature of the Certifying Medical officer  
with seal

Date of Medical Examination :- \_\_\_\_\_ Place :- \_\_\_\_\_

Upload Web Side ARC  
date 10/7/2020